[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना संख्या 39/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)**

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. (अ). जहॉ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित **"**डक्टाइल आयरन पाइप्स**" (**एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है**)** जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7303 00 30 या 7303 00 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 15/1006/2012-डीजीएडी, दिनांक 04 सितम्बर, 2013, जिसे दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी;

और जहॉ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस विषयगत माल पर दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 से प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहॉ कि मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड के द्वारा दायर स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 12368/2018 के मामले में आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 अक्तूबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1012 (अ), दिनांक 09 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क को 09 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दिया था;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "डक्टाइल आयरन पाइप्स" के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 09 अक्तूबर, 2018 के तहत सनसैट रिव्यू जांच शुरू की थी;

और जहां कि उक्त सनसैट रिव्यू जांच के पूरा हो जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "डक्टाइल आयरन पाइप्स" के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों को जारी किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने उक्त निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की जरूरत नहीं है और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "डक्टाइल आयरन पाइप्स" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को और आगे जारी रखने की सिफारिश नहीं की थी;

और जहाँ मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 6896/2019 के मामले में दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 18/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 299(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खण्ड 3, उप खण्ड **(i)** में प्रकाशित किया गया था के द्वारा 09 मई, 2019 तक के लिए बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 6896/2019 के मामले में आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 03 मई, 2019 के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने विषयगत वस्तु पर लगने वाले शुल्क को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 09 मई, 2019, जिसे सा.का.नि. 352 (अ.), दिनांक 09 मई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा 23 जून, 2019 तक बढ़ा दिया है;

और जहां कि मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड के द्वारा दायर स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नं. 6896/2019 के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 20 जून, 2019 के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व सरकार) की अधिसूचना संख्या 25/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जून, 2019, जिसे सा.का.नि. 444 (अ), दिनांक 23 जून, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3 उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को 9 अक्तूबर, 2019 तक बढ़ा दिया था;

और जहां कि व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 6678/2019 (स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नं. 6896/2019 के मामले में 20 जून, 2019 के निर्णय से उत्पन्न) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 28 अगस्त 2019 के आदेश द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 20 जून, 2019 के निर्णय को निरस्त करने का आदेश दिया है ।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क, दिनांक 10 अक्तूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई या करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है ।

(फाइल संख्या 354/3/2007-टीआरयू (पार्ट. ।))

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार